कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– 906/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(6)/2018 दिनांक 23 फरवरी, 2018

सेवा में,

1– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– मुख्य अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग विंग,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष 27 FEB 2018 उत्तराखण्ड लो0नि0वि0, देहरादून

विषयः स्थाई रोड सेफ्टी सैल का गठन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि अवर सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–आरटी25039/3/2016–आरएस दिनांक 02–01–2018 के अन्तर्गत रिट याचिका संख्या–295/2012 एस0 राजशेखर बनाम भारत संघ एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 30–11–2017 को पारित आदेशों की प्रति संलग्न करते हुए, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों का पालन करने और कृत कार्यवाही की आख्या से भारत सरकार को भी अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–11–2017 की प्रति सभी सम्बन्धित विभागों को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 12–12–2017 द्वारा पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों में अन्य आदेशों के अतिरिक्त राज्य में स्थाई रोड सेफ्टी सैल के गठन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश दिये गये हैं:–

Permanent Road Safety Cell: All State Governments and Union Territories have already been requested by the MoRTH to set up Road Safety Cells. The State Governments and Union Territories should establish Permanent Road Safety Cells by 31st January, 2018.

3– इसके अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 30–11–2017 के अन्तर्गत पृष्ठ संख्या–20 पर कमांक–20 पर निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

The Ministry of Road Transport & Highways is in agreement with the suggestion. Ministry of Road Transport & Highways as well National Highways Authority of India have established road safety engineering cells. All the States/UTs have also been requested to establish Road Safety Engineering Cell in their National Highways Directorates by Ministry of Road Transport & Highways.

इस प्रकार उक्त सैल का गठन लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत किया जाना है। अतः मा0 उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पुनः अनुरोध है कि तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– अधीक्षण अभियन्ता/सदस्य लीड एजेन्सी, लोक निर्माण विभाग।

(सुनीता सिंह)
अपर परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।